

(62)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की कंडिका-36 एवं 32 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में रिक्त एवं रिक्त होने वाले अध्यक्ष एवं सदस्य पद के विरुद्ध अगले आदेश तक निम्नरूपेण जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया जाता है:-

रिक्त होने वाले अध्यक्ष, जिला आयोग का नाम	अध्यक्ष, जिला आयोग को अतिरिक्त प्रभार
1	2
गया	अध्यक्ष, जिला आयोग, अरवल को अध्यक्ष, जिला आयोग, गया का अतिरिक्त प्रभार; दोनों जिला आयोगों में सप्ताह में तीन-तीन दिन कार्य करेंगे।
नवादा	अध्यक्ष, जिला आयोग, जमुई को अध्यक्ष, जिला आयोग, नवादा का अतिरिक्त प्रभार; दोनों जिला आयोगों में सप्ताह में तीन-तीन दिन कार्य करेंगे।

रिक्त होने वाले सदस्य, जिला आयोग का नाम	सदस्य, जिला आयोग को अतिरिक्त प्रभार
1	2
पूर्णियाँ	श्री नीरज कुमार सिन्हा, सदस्य, जिला आयोग, कटिहार को सदस्य, जिला आयोग, पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार; दोनों जिला आयोगों में सप्ताह में तीन-तीन दिन कार्य करेंगे।
भागलपुर	श्री रामाशीष चौधरी, सदस्य, जिला आयोग, मुंगेर को सदस्य, जिला आयोग, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार; दोनों जिला आयोगों में सप्ताह में तीन-तीन दिन कार्य करेंगे।

- जिला आयोग में अध्यक्ष एवं किसी सदस्य के रिक्त पद पर नियमित पदस्थापन होने के पश्चात यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- उपरोक्त जिला आयोगों से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।
- आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

(विभूति रंजन चौधरी)
निदेशक-सह-विशेष सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-खाद्य (निदे0) प्र0-I-54/2024(खण्ड) 124 खाद्य,पटना/दिनांक 22/01/2025
प्रतिलिपि:- निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/संबंधित
जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला आयोग/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सचिव एवं निदेशक कोषांग, खाद्य एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/25
निदेशक-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-खाद्य (निदे0) प्र0-I-54/2024(खण्ड) 124 खाद्य,पटना/दिनांक 22/01/2025
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को
अधिसूचना की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/1/25
निदेशक-सह-विशेष सचिव।